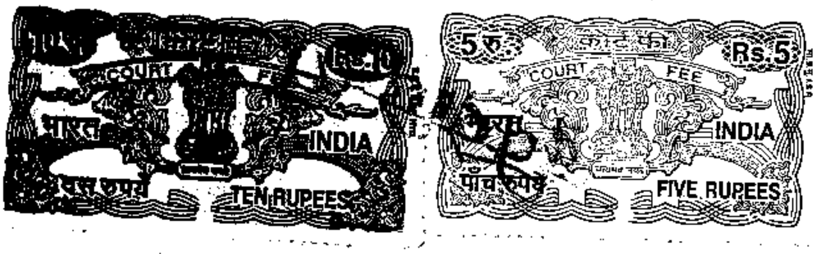

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

4029-I/12

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–कटनी

श्री .... 28/11/12 को
द्वारा आज ....
प्रस्तुत 11/12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रमेश कुमार सिंघानिया, डायरेक्टर शिवशक्ति इम्पेक्स मार्बल्स लिमिटेड, 15/64, अग्रवाल बिल्डिंग जवाहर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

...... आवेदक

विरुद्ध

(1) ग्राम पंचायत भेड़ा द्वारा सरपंच बालमुकुन्द दुबे पुत्र स्व. श्री मूरतलाल दुबे, निवासी– ग्राम भेड़ा तहसील बहोरीबंद जिला–कटनी (म.प्र.)

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–कटनी

...... अनावेदकगण

<u>माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक **824-II/2010** अपील में पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4029–एक/2012 **जिला कटनी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–03–2016	आवेदक अधिवक्तागण को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 824–दो/2010 में पारित आदेश दिनांक 26–04–2012 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	